

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर
नये सिरे से चयन परिणाम

संख्या:पीआरपीबी: अनु-6-प-1/2015 दिनांक:जून ,2015

1- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2011 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत समूह परिसंवाद हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षण के सुसंगत प्राविधानों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी: अनु-6-प-1/2015 दिनांकित 16 मार्च, 2015 के द्वारा चयन परिणाम घोषित किया गया था।

2- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2011 का उक्त चयन परिणाम रिट याचिका संख्या: 67782/2014 साकेत कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या: 734/2015 संजीव कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के अधीन था।


3- रिट याचिका संख्या: 67782/2014 साकेत कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध 22 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-05-2015 को पारित आदेश में रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया तथा बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी: अनु-6-प-1/2015 दिनांकित: 16 मार्च, 2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम को केवल उन अभ्यर्थियों की सीमा तक जिन्होंने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 14-09-2014 को सम्पन्न मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में हवाइटनर/ब्लेड का प्रयोग किया है अपास्त कर दिया गया तथा ऐसे अभ्यर्थियों को हटाते हुए नये सिरे से चयन परिणाम तैयार करने के निर्देश दिये गये।

4- अतएव, रिट याचिका संख्या: 67782/2014 साकेत कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध 22 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29-05-2015 के अनुपालन में दिनांक 14-09-2014 को सम्पन्न मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में हवाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को हटाते हुए शेष अभ्यर्थियों के मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षण के सुसंगत प्राविधानों के अधीन बोर्ड द्वारा नये सिरे से चयन किये गये हैं। इस प्रक्रिया में पूर्व में चयनित 810 अभ्यर्थी, जिन्होंने अपने

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग किया है, चयन से बाहर हो गये हैं।

5- यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि डालकर देख सकते हैं।

6- नये सिरे से किये गये चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची-परिशिष्ट-क तथा पूर्व में चयनित परन्तु अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने के कारण इस चयन से बाहर हुए 810 अभ्यर्थियों की सूची-परिशिष्ट-ख बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध है।


25/06/15

अपर सचिव, भर्ती/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।